

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का डारुआ बनाम हरगुण शिवीराम जाट

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- RA/30/2022

निर्णय दिनांक :- 13/6/22

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम शानीता की आ.ख.न. 112 कुल रकबा 3,000 किस्म जमीन गिण्डु में से 0-01 रकबे पर श्री हरगुण शिवीराम जाट पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का डारुआ द्वारा दिनांक 6.5.22 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. दरौदा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी हरगुण शिवीराम जाट जाति जाट निवासी शानीता को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी दरौदा उपस्थित नहीं आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है। उक्त रकबवा आ.ख.न. 112 रकबा 3,000 में से 0-01 रकबे किस्म गिण्डु है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा वैरसायत को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 8 paise का 50 गुणा 917 रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी डारुआ भू.अ.निरी. दरौदा को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

महेश
तहसीलदार (अलवर)
कठूमर, अलवर (राज.)